

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर

वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	लैलूंगा से बाकारुमा मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.)		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	लैलूंगा से बाकारुमा मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		रायगढ़	धरमजयगढ़	लैलूंगा से बाकारुमा मार्ग
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	वनखंड/ ग्राम	कक्ष क्र./ खसरा क्र.	आवेदित क्षे. का क्षेत्रफल हे. में
क.	आरक्षित वन	—	—	0
ख.	संरक्षित वन	सकरलिया	PF-187	3.327
		हीरापुर	PF-193	0.351
		चोरंगा	PF-209	0.161
ग.	राजस्व वनभूमि	—	—	0
		योग		3.483
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	वनों का प्रकार	साल एवं मिश्रित वन	
		साइट क्वालिटी	III	
		घनत्व	0.4 – 0.5	
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 334 नग वृक्ष। गणना पत्रक संलग्न है।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	माध्यम है।		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	खनिज प्रकरण नहीं है।		

10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	उक्त लैलूंगा से बाकारुमा सड़क छ0ग0 वन विभाग कैम्पा द्वारा निर्धारित वाईल्ड लाईफ कारीडोर में आता है।
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)	नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देंगे।	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण – प्रत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है/~~नहीं~~ की जाती है।

निरीक्षण स्थल : लैलूंगा

दिनांक : 14/03/2022

अभिषेक जोगावत भा.व.से.

अभिषेक
वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल